15/12 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान
के कैम्प आमलोगर में पेश हुई।
पत्रावली में निर्णय आदेश से लिखा
जाकर तामील पत्रावली किया गया
प्रकरण दर्ज रजिस्टर से कम किया
जाकर फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

देवीलाल
भंवरलाल
गोपाल
शंकर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेनु मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या [illegible]

1. देबीलाल पुत्र सालग लुहार निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. गोपाल पुत्र सालग लुहार निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. जगदीश पुत्र सालग लुहार निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति फुना पत्नी सालग लुहार निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र कालु गाडरी निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. पृथ्वीराज पुत्र श्री मेघा ब्राहम्ण निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. भैरू पुत्र नारायण गाडरी निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. जोधा पुत्र नानुराम गाडरी निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. एकलिंग पुत्र श्री उदा जाट निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. शंकर पुत्र श्री बक्षा गाडरी निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. श्रीमति देउ पत्नी श्री लादु गाडरी निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. कालु पुत्र श्री भैरू जाट निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार हमीरगढ

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू.—राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 15.05.2017

प्रार्थी की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू.—राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 15.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का आमलीगढ तहसील हमीरगढ मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 77/1 रकबा 02—00 बीघा, आराजी न0 81 रकबा 02—06 बीघा, आराजी न0 496 रकबा 02—01 बीघा, आराजी न0 496/1 रकबा 00—02 बीघा, आराजी नं0 497 रकबा 00—06 बीघा, आराजी नं0 500 रकबा 00—04 बीघा, कुल किता 06 रकबा 06—19 बीघा भूमि स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है । प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है । इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है । आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 15.03.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 08 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील हमीरगढ ग्राम रतनपुरा मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि आराजी न0 77/1 रकबा 02—00 बीघा, आराजी न0 81 रकबा 02—06 बीघा, आराजी न0 496 रकबा 02—01 बीघा, आराजी न0 496/1 रकबा 00—02 बीघा, आराजी नं0 497 रकबा 00—06 बीघा, आराजी नं0 500 रकबा 00—04 बीघा, कुल किता 06 रकबा 06—19 बीघा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 700/—रु0 अक्षरे सात सौ रुपये पक्षकार — प्रार्थी राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/— रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें ।

आदेश आज दिनांक 15.05.2017 को खुला न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

उपखण्ड अधिकारी

[illegible]